फ़र्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

छीतरमल | अमरचन्द

संख्या : 1533/08

या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/5/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उपस्थित। तनकी संख्या 1, 2 व 3 का निर्णय वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया जाकर वादीगण को वाके ग्राम खोराबीसल तहसील रामपुरा-डाबरी जयपुर के ख०न० 76/1023, 77/1024, 80/748, 82, 84/799, 92/803, 81 कुल किता 7 कुल रकबा 2.05 हैक्टेयर जिसके साबिक खसरा नम्बर 54 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा के वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 1033/2008 वाद प्रस्तुति दिनांक – 06.10.2006

1. **छीतरमल पुत्र स्व. श्री केसरलाल, (मृतक दौराने वाद)**

   1/1. मुकेश पुत्रान स्व. श्री छीतरमल, जाति जैन, निवासी निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   1/2. राकेश खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   1/3. संजय निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

   1/4. मु0 संतरा देवी बेवा स्व. श्री छीतरमल, जाति जैन, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

   1/5. श्रीमती कुसुम शाह पुत्री स्व. श्री छीतरमल धर्मपत्नी श्री दीपक शाह, जाति जैन, निवासी त्रिवेणी चौराहा, गंगा विहार कॉलोनी, गोपालपुरा, जयपुर।

2. पदमचन्द पुत्र स्व. श्री केसरलाल, आयु 58 वर्ष जाति जैन, निवासी ग्राम
3. नेमीचन्द पुत्र स्व. श्री केसरलाल, आयु 48 वर्ष खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—— वादीगण

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र स्व. श्री चौगानमल, जाति जैन, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. **श्रीमती मिश्रीदेवी धर्मपत्नी स्व. श्री चौगानमल (मृतक दौराने वाद)**
3. **श्रीमती चन्द्रकान्ता धर्मपत्नी श्री मोहनलाल जैन (मृतक दौराने वाद)**
   3/1. पिन्टू पुत्र स्व. श्री मोहनलाल जाति जैन, निवासी मु0 पोस्ट,
   3/2. दीपू पुत्र स्व. श्री मोहनलाल सवाई माधोपुर, तहसील व जिला
   3/3. गुटन पुत्री स्व. श्री मोहनलाल सवाई माधोपुर।
4. श्रीमती बीना देवी पुत्री स्व. श्री चौगानमल धर्मपत्नी श्री ... कुमार, जाति जैन, निवासी मकान नम्बर 660, मनिहारों का रास्ता, ...
5. श्रीमती कुसुम देवी पुत्री स्व. श्री चौगानमल धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार, जाति जैन, मु. पो. खोवारावजी, तहसील व जिला दौसा।
6. श्रीमती अंतिम देवी पुत्री स्व. श्री चौगानमल धर्मपत्नी श्री पारस जैन, निवासी जैन कॉलोनी, मु. पो. मदनगंज–किशनगढ़, अजमेर।
7. श्रीमती सन्तोष देवी पुत्री स्व. श्री चौगानमल धर्मपत्नी श्री त्रिलोकचन्द, जाति जैन, निवासी बड़ा जैन मन्दिर के पास, मु.पो. मौजमाबाद, जयपुर।
8. **सुरेश कुमार पुत्र स्व. श्री रतनलाल जैन (मृतक दौराने वाद)**
   8/1. अक्षय कुमार पुत्र स्व. श्री सुरेश कुमार
   8/2. मु0 विमला देवी बेवा स्व. श्री सुरेश कुमार जाति जैन, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

9. अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री रतनलाल, जाति जैन, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

10. श्रीमती ललिता पुत्री स्व. श्री रतनलाल जैन धर्मपत्नी श्री राजेन्द्र कुमार लुहाड़िया, जाति जैन, निवासी चन्द्रप्रभ जैन मन्दिर के सामने, झोटवाड़ा, जयपुर।

11. श्रीमती मंजू पुत्री स्व. श्री रतनलाल जैन धर्मपत्नी श्री महेश कुमार जैन, जाति जैन, निवासी दादी के फाटक के पास, बैनाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।

12. **राजमल पुत्र स्व. श्री छिगनलाल, जाति जैन (मृतक दौराने वाद)**

12/1. नवीन कुमार

12/2. राकेश कुमार

पुत्रान स्व. श्री राजमल, जाति जैन, निवासी मकान नम्बर–747, मिश्राराजाजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।

12/3. श्रीमती अनिता पुत्री स्व. श्री राजमल धर्मपत्नी श्री राकेश ठोलिया, जाति जैन, निवासी प्लॉट नम्बर 68, जनकपुरी Ist, ईमलीवाला फाटक, ज्योति नगर, जयपुर।

12/4. श्रीमती रेखा पुत्री स्व. श्री राजमल धर्मपत्नी श्री पदम छाबड़ा, जाति जैन, निवासी जैन मन्दिर मार्ग, मानसरोवर कॉलोनी, झोटवाड़ा, जयपुर।

13. महावीर प्रसाद पुत्रा स्व. श्री छिगन, जाति जैन, निवासी ग्राम खोरा बीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर , तहसील आमेर, जिला जयपुर।

15. सरदार पुत्र हनुमानराम, जाति यादव, निवासी ग्राम उदयपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

16. नेकीराम पुत्र स्व. श्री छोटूदास, जाति स्वामी, निवासी–72, जमनापुरी, मुरलीपुरा, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।

17. हजारीलाल पुत्र श्री रामनिवास, जाति स्वामी, निवासी ग्राम मण्डावरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

18. रामस्वरूप पुत्र श्री नारायणराम, जाति जाट, निवासी प्लॉट नम्बर 14, पवनपुरी, मुरलीपुरा, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।

— प्रतिवादीगण

वाद बाबत इस्तकरार हक, एवं स्थाई निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर

उपस्थिति :–

(1) **श्री हेमन्त सोगानी – अधिवक्ता वादीगण**
(2) **श्री अजय सैनी – अधिवक्ता प्रतिवादीगण।**

दिनाँकः– 28.04.2025

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally Signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार ... वादीगण ने ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर ... नम्बर 76/1023 रकबा 0.09 हैक्टे0, 77/1024 रकबा 0.07 हैक्टे0, 80/... रकबा 0.07 हैक्टे0, 82 रकबा 0.59 हैक्टे0, 84/799 रकबा 0.05 हैक्टे0, 92/80... रकबा 0.02 हैक्टे0, 81 रकबा 1.16 हैक्टे0 कुल किता 7 रकबा 2.05 हैक्टे0, जिसके साबिका खसरा नम्बर 54 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा थे, के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया । वाद पत्र में वादीगण ने यह अंकित किया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त साबिका खसरा नम्बर 54 तथा

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

अन्य भूमि साबिका खसरा नम्बर 338 रकबा 1 बीघा (हाल खसरा नम्बर 369 रकबा 0.25 हैक्टे0) स्व. श्री गणेशलाल पुत्रा सुवालाल की खातेदारी में दर्ज थी। श्री गणेशलाल के जीवनकाल में ही वादीगण के पिता स्व. श्री केसरलाल पुत्र श्री सन्तोष चन्द्र जैन उक्त भूमि पर तन्हा काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे इसलिए श्री गणेशलाल का स्वर्गवास हो जाने पर नामांतरकरण संख्या 33 दिनांक 19–7–64 को वादीगण के पिता स्व. श्री केसरलाल पुत्र सन्तोष चन्द्र जैन के नाम तस्दीक कर दिया गया और राजस्व भू–अभिलेखों में स्व. श्री केसरलाल का नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित कर दिया गया। भूमि खसरा नम्बर 338 रकबा 1 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 369 रकबा 0.21 हैक्टे0 बने, को वादीगण ने आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित किये जाने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार आमेर ने दिनांक 13–8–1996 को आदेश पारित कर उक्त भूमि में से 2000 वर्ग मीटर भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित फरमा दिया। प्रतिवादीगण ने उक्त आदेश के विरूद्ध कोई कानूनी चाराजोही नहीं की और वह आदेश अंतिम हो गया। वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह भी अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के हक पूर्वाधिकारी स्व. श्री चौगान मल पुत्र सेडूलाल जैन, तथा प्रतिवादी संख्या 12 व 13 श्री राजमल तथा महावीर प्रसाद पुत्रान स्व. श्री छिगनलाल जैन ने इस्तकरार हक व दखलयाबी के अनुतोष हेतु एक दावा दिनांक 5–6–76 को न्यायालय सहायक कलेक्टर, चौमूं के समक्ष स्व. श्री केसरलाल के विरूद्ध यह अंकित करते हुऐ प्रस्तुत किया कि दिनांक 19–7–64 नामांतरकरण अपने नाम करवाकर स्व. श्री केसरलाल ने भूमि विवादग्रस्त पर दिनांक 1–10–74 को अनाधिकृत रूप से कब्जा कर प्रतिवादीगण को बेदखल कर दिया है इसलिये उन्हें खातेदार घोषित किया जावे और प्रतिवादी को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल कर कब्जा दिलाया जावे। उक्त वाद संख्या 232/82 दिनांक 17–1–94 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया और वह आदेश अंतिम हो गया। उक्त कार्यवाही के पश्चात् प्रतिवादीगण ने वादीगण को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने हेतु कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की और वादीगण भूमि विवादग्रस्त पर निरन्तर काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित नामांतरकरण संख्या 33 दि[illegible]7–64 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22–9–74 को होना जा[illegible] ने अपील प्रस्तुत की जिस अपील को उपखण्ड अधिकारी [illegible] के अपने निर्णय द्वारा निरस्त फरमा दिया परन्तु द्वितीय अपील संख्या 37/[illegible] को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने दिनांक 14–9–90 के अपने निर्णय द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड फरमा दिया कि सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर नये सिरे से निर्णय पारित किया जावे। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के उपरोक्त वर्णित निर्णय दिनांक 14–9–90 के पश्चात् प्रकरण विवादित होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

के बावजूद भी ग्राम पंचायत खोराबीसल ने दिनांक 24–10–2002 को विवादित प्रकरण में आदेश पारित कर नामांतरकरण प्रतिवादीगण के नाम तस्दीक किये जाने का आदेश पारित फरमा दिया। उक्त निर्णय दिनांक 24–10–2002 के विरूद्ध वादीगण ने अपील प्रस्तुत की जिस अपील संख्या 17/2002 को उपखण्ड अधिकारी आमेर ने दिनांक 10–7–2006 के अपने निर्णय द्वारा स्वीकार करते हुए केस तहसीलदार आमेर को रिमाण्ड कर दिया। उपखण्ड अधिकारी आमेर ने दिनांक 10–7–2006 के उपरोक्त वर्णित निर्णय द्वारा तहसीलदार आमेर को दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् पुनः निर्णय पारित करने हेतु केस रिमाण्ड किया था परन्तु तहसीलदार आमेर ने वादीगण को पक्ष समर्थन व सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 26–9–2006 को इकतरफा निर्णय पारित कर प्रतिवादीगण के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश पारित कर दिये जो पूर्णतः अवैध हैं वादीगण को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 2–10–2006 को हुई। दिनांक 26–9–2006 को पारित उक्त इकतरफा निर्णय के आधार पर दिनांक 2–10–2006 को प्रतिवादी संख्या 1, 12 व 13 के पुत्र तथा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 अन्य व्यक्तियों के साथ पत्थरों की ट्रॉली आदि लेकर मौके पर आये और वादीगण को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल कर देने पर आमादा हो गये वादीगण ने जब उनका प्रतिरोध किया और पुलिस थाने में शिकायते की तो पुलिस कॉन्सटेबल मौके पर आ गये इस पर वे व्यक्ति वापस भाग गये परन्तु यह धमकी देकर गये कि हम शीघ्र ही दल बल सहित आकर तुम्हें भूमि विवादग्रस्त से बेदखल करके रहेंगें। उपरोक्त कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण अब येनकेन प्रकारेण अब इस कोशिश में हैं कि वे जल्द से जल्द राजस्व भू–अभिलेखों से वादीगण का नाम लोपित करवाकर वादीगण को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल कर स्वयं कब्जा कर लें, जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 ने दिनांक 26–9–2006 के उपरोक्त वर्णित निर्णय तहसीलदार आमेर के आधार पर नामांतरकरण संख्या 266 दिनांक 29–9–2006 को अपने नाम तस्दीक करा लिया और उसके आधार पर दिनांक 7–10–2006 को भूमि विवादग्रस्त का एक विक्रय पत्र श्री सरदा[illegible]व, हिस्सा 1/2 तथा नेकीराम पुत्र स्व. श्री छोटूदास, जाति स्वामी ए[illegible]ल पुत्र श्री रामनिवास, जाति स्वामी हिस्सा 1/2 के पक्ष में तहरीर कर दिया और वास्तविक कब्जा व अधिकार ना होने के बावजूद भी विक्रय पत्र [illegible] कि वे उनके द्वारा विक्रय की गई भूमि का कब्जा मौके पर क्रेतागण को संभला दिया गया उक्त विक्रय पत्र वादीगण के विरूद्ध पूर्णतः अवैध एवं प्रभाव शून्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आधारों पर वादीगण ने यह अंकित करते हुए कि वे भूमि विवादग्रस्त के वास्तविक खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है कि वे भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में अनुचित हस्तक्षेप कर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

सकें अथवा वादीगण को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल करने की कोई कार्यवाही करें। यदि नामांतरकरण संख्या 33 दिनांक 19–7–64 के आधार पर वादीगण को भूमि विवादग्रस्त का खातेदार कृषक हो जाना ना भी माना जावे तो भी दिनांक 19–7–64 के पूर्व से ही वादीगण का भूमि विवादग्रस्त पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध मुखालफाना कब्जा है। स्वयं प्रतिवादीगण दिनांक 1–10–74 को मौजूदा वादीगण द्वारा भूमि विवादग्रस्त पर अतिक्रमण कर अपने आप को बेदखल कर दिया जाना अंकित करते हुए दावा प्रस्तुत कर चुके हैं जो वाद दिनांक 17–1–94 को निरस्त किया जा चुका है इस प्रकार कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादीगण भूमि विवादग्रस्त के खातेदार कृषक हो चुके हैं वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा कि घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि वादीगण उक्त भूमि विवादग्रस्त के खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण के कब्जे काश्त में अनुचित हस्तक्षेप ना करें तथा वादीगण को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल करने की कोई कार्यवाही ना स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें।

उपरोक्त वर्णित दावा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय ने उक्त वाद को वाद संख्या 331/2006 पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये जाने के आदेश पारित किये।

प्रतिवादीगण ने दिनांक 9–7–2010 को वादौत्तर प्रस्तुत कर भूमि विवादग्रस्त का श्री गणेशलालजी की खातेदारी में होना स्वीकार कर यह कथन किया कि उक्त भूमि पर गणेशलालजी के जीवनकाल में या किसी भी समय में स्व. श्री केसरलालजी पुत्र संतोष जैन तन्हा काबिज नहीं थे, ना ही उक्त विवादित भूमि पर उनका कभी कब्जा काश्त रहा, गणेशलालजी की मृत्यु के पश्चात् स्व. श्री केसरलालजी ने व छीतरजी से बदनीयति से धोखाधड़ी करके, झूठ बोलकर उक्त नामांतरकरण संख्या 33 दिनांक 19–7–1964 प्राप्त कर लिये जबकि तत्कालीन समय स्व. श्री गणेशलालजी के विधिक वारिसान जीवित थे उनको उक्त नामांतरकरण के समय कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई। स्व. केसरलालजी व छीतरलालजी ने स्व. श्री गणेशलालजी के वारिसों का ना होना बतलाकर व स्वयं को स्व. गणेशलालजी के वारिस बताकर उक्त नामांतरकरण आदेश बदनीयति से प्राप्त किये हैं जो अवैधानिक व शून्य है। गणेशलालजी के जीवनकाल में वादीगण के पिता केसरलाल उक्त भूमि पर तन्हा काबिज नहीं थे, ना ही उन्होंने कभी उक्त भूमि पर कोई काश्त की उक्त भूमि पर स्व. गणेशलालजी के समय से ही उनके पुत्र सेडूलाल व छिगनलाल के कब्जे काश्त में थी, वे ही उक्त भूमि पर तन्हा मालिक थे। वादीगण के पिता केसरलालजी ने ग्राम पंचायत खोराबीसल से सांठगांठ कर बदनीयति से गणेशलाल जी के वारिसों को छुपाते हुए अपने नाम नामान्तरकरण के आदेश दिनांक 19–71964 को करवाये और तस्दीक करवाया जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

उन्हें कोई वैधानिक अधिकार नहीं था उक्त नामान्तरकरण उन्होंने स्व. श्री गणेश लाल का वारिस होना बताते हुए करवाया ना कि कब्जे के आधार पर करवाया उसमें भी अस्वीकार शब्द को कॉंट छॉंट कर स्वीकार करवाया। वादी ने खसरा नम्बर 369 को आवासीय योजना हेतु रूपान्तरण करने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया ना ही तहसीलदार ने दिनांक 13–8–1996 को आवासीय रूपान्तरण का कोई आदेश पारित किया उक्त भूमि आज दिनांक तक कृषि भूमि के रूप में ही दर्ज है, पूर्व वाद में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया था इसलिये उक्त वाद को दिनांक 6–1–1994 को प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए और उक्त दावे को दिनांक 17–1–1994 को राजीनामा हो जाने के कारण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज करवाया गया। उक्त राजीनामे के अनुसार उक्त सम्पूर्ण विवादित भूमि पर कब्जा प्रतिवादीगण के पास बहाल रखा गया और अपनी गलती स्वीकार कर राजस्व भू–अभिलेखों में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज करवा देने का आश्वासन दिया। आज दिनांक तक प्रतिवादीगण को उक्त विवादित भूमि से बेदखल नही किया गयाा है। उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा व स्वामित्व प्रतिवादीगण आरम्भ से रहा है। जब वादीगण ने मौखिक राजीनामे के आधार पर नामान्तरकरण अपने नाम करवाने के लिये कहा तो वादीगण ने मना कर दिया तब प्रतिवादीगण ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के आदेशानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की। वादीगण उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण की सहमति से आदोली (सीरी) की हैसियत से कायत राजीनाम होने तक कर रहे थे। तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनकर पटवारी की रिपोर्ट लेकर दिनांक 26–9–2006 को निर्णय पारित किया। दिनांक 2–10–2006 को प्रतिवादीगण पत्थरों की ट्रॉली मौके पर नहीं गये जब वादीगण उक्त भूमि पर काबिज ही नहीं हैं तो उन्हें बेदखल करने की आवश्यकता ही नहीं है। विवादित भूमि पर कभी भी वादीगण का कब्जा नहीं रहातो मुखालफाना कब्जे का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वादीगण को दिनांक 2–10–2006 को या अन्य किसी दिन वाद पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ अतएव वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादीगण ने विशेष विवरण में अंकित किया कि उक्त भूमि स्व. श्री गणेशलाल जी ही स्वयं की कृषि [illegible] थी और [illegible] जी ही उक्त भूमि पर कायत करते थे। वादीगण भी उक्त तथ्य को स्वीकार करते रहे हैं। विवादित नामान्तकरण के समय वादी छीतरमल जी उक्त ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव पद पर थे इस बात का फायदा उठाकर उन्होंने गुपचुप नामान्तरकरण करवा लिया, जब उसकी जानकारी हुई तो अपील की गई जो मियाद के आधार पर खारिज हो गई, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने दिनांक 14–9–1990 को नामांतरकरण निरस्त फरमा दिया। रिमाण्ड के पश्चात् ग्राम पंचायत ने नामांतरकरण प्रतिवादीगण के नाम खोलने का आदेश कर दिया, अपील पुनः रिमाण्ड होने पर तहसीलदार ने दिनांक 25–9–2006 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

पुनः नामान्तकरण खालने के आदेश पारित कर दिये जिसके आधार पर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व भू–अभिलेखों में दर्ज हो गया। वाद पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण का भूमि विवादग्रस्त से कोई सरोकार नहीं नहीं है और ना ही वादीगण का वास्तविक कब्जा है, इसलिये दावा मय हर्जे–खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

पक्षकारान के अभिवचन के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई

तनकी संख्या (1) आया विवादित आराजियात मौजा खोराबीसल, तहसील आमेर के खसरा नम्बर 76 / 1023, 77 / 1024, 80 / 748, 82, 84 / 799, 92 / 803, 81 कुल किता 7 कुल रकबा 2.05 हैक्टे0 है, जिसके साबिका खसरा नम्बर 54 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा थे वादीगण के कब्जे काश्त में है। अतः कब्जा मुखालफाना (Adverse possesion) के आधार पर खातेदारी घोषित करवाने के वादीगण कानूनी अधिकारी है।

–– जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या (2) आया विवादित आराजियात को खातेदारी घोषित करवाने के पश्चात् वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के कानूनी अधिकारी है।

–– जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या (3) आया विवादित आराजियात पर वादीगण एवं उनके पिता स्व. केसरलाल का कब्जा काश्त नहीं है प्रतिवादीगण विवादित आराजियात के रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः वादीगण कब्जा मुखालफाना के (Adverse possesion) के आधार पर खातेदारी घोषित करवाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है।

–– जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी कायम होने के पश्चात वादीगण ने अपने केस के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–1 प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2060 लगायत 2063, प्रदर्श पी–2 खसरा गिरदावरी संवत् 2060 से 2063, प्रदर्श पी–3 प्रमाणित प्रतिलिपि हाल मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श पी–4 जमाबंदी संवत् 2018 से 2022, प्रदर्श पी–5 जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 प्रदर्श, पी–6 नामांतरकरण संख्या 33 दिनांक 19–7–1964, प्रदर्श पी–7 लगायत पी 23 रसीदात लगान प्रदर्श पी–24 जमाबन्दी संवत 2064 से 2067, प्रदर्श पी–25 प्रमाणित प्रतिलिपि वाद संख्या 232 / 82 दिनांक 17–1–94, प्रदर्श पी–26 प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 13–8–1996 आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण, प्रदर्श पी–27 प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जय[illegible] पी–28 प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर दि[illegible]6–6–2017, प्रदर्श पी–29 रसीद सिंचाई हेतु बोरिंग, प्रदर्श पी–30 रसीद जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत कनेक्शन, प्रदर्श पी–31 उद्योग विभाग से रजिस्टर्ड [illegible] फ्लोर मिल लिया हुआ है। प्रदर्श पी–32 अमित किराणा स्टोर प्रदर्श पी–33 अमित किराणा स्टोर पर भारत संचार निगम लि0 से टेलीफोन कनेक्शन प्रदर्श पी–34 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से पानी कनेक्शन, प्रदर्शपी–35 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से पानी कनेक्शन प्रदर्श

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested

पी–36 रसीद लगान प्रदर्श पी–36ए रसीद लगान प्रदर्श पी–36बी रसीद लगान प्रदर्श पी–37 नामन्तरकरण संख्या 270 दिनांक 9.4.2009 प्रदर्श पी–37ए नामन्तरकरण संख्या 270 दिनांक 9.4.2009 प्रदर्श पी–38 जमाबन्दी संवत 2060–2063. प्रस्तुत किये और मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 1 नेमीचन्द पी. डब्ल्यू. 2 पदम चन्द, पी.डब्ल्यू. 3 रमेश शर्मा, पी.डब्ल्यू. 4 रामलाल यादव, पी.डब्ल्यू. 5 नानगराम, पी.डब्ल्यू. 6 रामनारायण के बयान कराये।

प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ए–1 वाद पत्र, प्रदर्श ए–2 खतौनी बंदोबस्त संवत् 2010 से 2023, प्रदर्श ए–3 नामांतरकरण संख्या 33, प्रदर्श ए–4 जमाबंदी संवत् 2072, प्रदर्श ए–5 खसरा गिरदावरी संवत् 2072 से 2075, प्रदर्श ए–6 निर्णय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रदर्श ए–7 नक्शा प्रस्तुत किये और मौखिक साक्ष्य में श्री अशोक जैन के बयान कराये।

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा एवं लिखित बहस पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

तनकी संख्या (1) आया विवादित आराजियात मौजा खोराबीसल, तहसील आमेर के खसरा नम्बर 76/1023, 77/1024, 80/748, 82, 84/799, 92/803, 81 कुल किता 7 कुल रकबा 2.05 हैक्टे0 है, जिसके साबिका खसरा नम्बर 54 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा थे वादीगण के कब्जे काश्त में है। अतः कब्जा मुखालफाना (Adverse possesion) के आधार पर खातेदारी घोषित करवाने के वादीगण कानूनी अधिकारी है।

— जिम्मे वादीगण तनकी संख्या 1 को न्यायालय के समक्ष स्थापित करने का भार वादीगण पर है। इसके सन्दर्भ में वादीगण द्वारा वर्णित किया गया है भूमि विवादग्रस्त पर दोनों पक्षों ने अपना कब्जा है। वादीगण ने अपने कब्जे के संदर्भ में कहा है कि विवादित आराजियात गणेशलाल पुत्र सुवालाल की खातेदारी में थी, श्री गणेशलाल के जीवनकाल में ही वादीगण के पिता स्व. श्री केसरलाल पुत्र श्री संतोषचन्द जैन उक्त भूमि पर तन्हा काबिज रहकर काश्त करते रहे और गणेशलाल का स्वर्गवास हो जाने पर दिनांक 19–7–1964 को नामांतरकरण संख्या 33 वादीगण के पिता स्व. श्री केसरलाल के नाम तस्दीक हो गया, इस प्रकार गणेशलाल पुत्र सुवालाल के जमाने से ही उक्त भूमि पर निरन्तर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के हक पूर्वाधिकारी स्व. श्री चौगानमल व प्रतिवादी संख्या 12 व 13 श्री राजमल व महावीर प्रसाद ने उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 5–6–1976 को खातेदारी अधिकारों की घोषणा के साथ दखलयाबी के अनुतोष हेतु एक दावा न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं के समक्ष स्व. श्री केसरलाल के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त दावे में वादीगण चौगानमल वगैरह ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 19–7–1964 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

नामांतरकरण संख्या 33 स्व. श्री केसरलाल के नाम तस्दीक हो जाने पर केसरलाल ने उक्त भूमि पर दिनांक 1–10–1974 को अनाधिकृत रूप से कब्जा कर उन्हें भूमि विवादग्रस्त से बेदखल कर दिया और इसलिये चौगानमल वगैरह ने उक्त वाद संख्या 232/1983 में खातेदारी अधिकारों की घोषणा के साथ केसरलाल को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल कर उक्त भूमि का वास्तविक कब्जा चौगानमल वगैरह को संभलाये जाने का अनुरोध किया गया उक्त वाद संख्या 232/1982 दिनांक 17–1–1994 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो जाने के पश्चात् उक्त दावे में कोई आवेदन बाजदायर प्रस्तुत नहीं किया गया और इस प्रकार उक्त भूमि पर निरन्तर पहले केसरलाल तथा श्री केसरलालजी का देहान्त हो जाने के पश्चात् उनके पुत्रों वादी संख्या 1 छीतरमल, वादी संख्या 2 पदमचन्द तथा वादी संख्या 3 नेमीचन्द पुत्रान केसरलाल भूमि विवादग्रस्त पर निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण ने उक्त तथ्य को स्पष्ट करने हेतु प्रदर्श पी–4 जमाबंदी संवत् 2018 से 2022, प्रदर्श पी–6 नामांतरकरण संख्या 33 दिनांक 19–7–1964 प्रस्तुत करने के साथ ही प्रदर्श पी–25 प्रमाणित प्रतिलिपि सम्पूर्ण पत्रावली वाद संख्या 232/1982 प्रस्तुत की है, वाद पत्र के पठन से स्पष्ट होता है कि चौगानमल व अन्य ने केसरलाल द्वारा उन्हें भूमि विवादग्रस्त से बेदखल करना स्वीकार किया और आदेशिका दिनांक 17–1–1994 से यह स्पष्ट होता है कि उक्त दावा वादीगण की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गया। गणेशलाल के जीवनकाल में ही केसरलाल द्वारा भूमि विवादग्रस्त पर निरन्तर काबिज रहकर काश्त करने के समर्थन में वादीगण ने प्रदर्श पी–7, 8 व 9 रसीद लगान प्रस्तुत की है, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि गणेशलाल के जीवनकाल में भी उक्त भूमि का लगान स्व. श्री केसरलाल ने ही जमा कराया है और जो लगान की रसीद प्रदर्श पी–7 लगायत पी–23, प्रदर्श पी–36, पी–36ए व पी–36बी प्रस्तुत की गई, उनसे यह स्पष्ट होता है कि भूमि विवादग्रस्त का लगान निरन्तर मौजूदा वादीगण ने ही राजस्थान राज्य सरकार के समक्ष जमा कराया है।

वादीगण के उक्त कथन का प्रतिकार करते हुये प्रतिवादीगण ने अपने वादौत्तर में यह कथन किया है कि वाद संख्या 232/1982 के दौरान वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तत्कालीन समय राजीनामा हो गया था, इसलिये उक्त प्रकरण में दिनांक 17–1–1994 को वादीगण व प्रतिवादीगण राजीनामा होने के कारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये और उक्त दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करवा लिया। उक्त राजीनामे के अनुसार उक्त सम्पूर्ण विवादित भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण के पास बहाल रखा गया। प्रतिवादीगण ने उक्त कथन के समर्थन में न्यायालय के समक्ष ना तो किसी प्रकार के राजीनामे की कोई प्रति प्रस्तुत की गई और ना ही प्रतिवादीगण भूमि विवादग्रस्त पर अपने वास्तविक कब्जे के संबंध में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत की इसलिये वे यह साबित करने में असफल रहे हैं कि जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

वास्तविक कब्जा केसरलाल के पास था वह कब्जा उसके पश्चात् कब व किस प्रकार केसरलाल गणेशलाल अथवा चौगानमल के पास आ गया प्रदर्श पी–5 वाद संख्या 232/1982 में प्रतिवादी पक्ष द्वारा की गई स्वीकारोक्ति की उक्त भूमि पर वास्तविक कब्जा मौजूदा प्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी केसरलाल का था। मौजूदा प्रतिवादीगण के विरूद्ध बाध्यकारी है। वादीगण ने अपने कथन के समर्थन में 2000 डब्ल्यू. एल.सी. (एस. सी.) सिविल 670 तथा 1999 (3) डब्ल्यू. एल.सी. राज. 645 एल बी. प्रस्तुत कर कहा कि स्वीकारोक्ति अपने–आप में सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य है, जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से गलत होना साबित ना कर दिया जावे।

वादीगण ने भूमि विवादग्रस्त पर अपने निरन्तर कब्जे के समर्थन में भूमि साबिका खसरा नम्बर 338 हाल खसरा नम्बर 369 रकबा 0.25 हैक्टे0 में से 2000 वर्गमीटर भूमि को तहसीलदार आमेर से दिनांक 13–8–1996 को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवा लेने का आदेश प्रस्तुत किया प्रतिवादीगण ने उक्त तथ्य का भी कोई प्रतिकार नहीं किया है वादीगण ने उसके पश्चात् उक्त भूमि पर 8 पक्की दुकानें व 1 कमरा बना रखा है जिसमें हम निरन्तर अनाज का व्यापार एवं आटा चक्की पाना फ्लोर मिल के नाम से एवं संजय क्लॉथ स्टोर, अमित किराना स्टोर, शेफाली फैंसी स्टोर के नाम से निरन्तर व्यापार एवं कारोबार करते चले आ रहे हैं तथा बिजली–पानी का कनेक्शन भी अपने नाम होने की साक्ष्य प्रस्तुत की है जिससे उपरोक्त वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है।

प्रतिवादीगण ने भूमि विवादग्रस्त पर अपना ही कब्जा होने का कथन किया है परन्तु अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वाद संख्या 232/1982 में चौगानमल वगैरह ने यह स्वीकार किया है कि केसरलाल ने उक्त भूमि पर दिनांक 1–10–1974 को अनाधिकृत रूप से कब्जा कर उन्हें भूमि विवादग्रस्त से बेदखल कर दिया और इसलिये चौगानमल वगैरह ने उक्त दावे में केसरलाल को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल कर उक्त भूमि का वास्तविक कब्जा चौगानमल वगैरह को संभलाये जाने का भी अनुतोष चाहा। उक्त वाद संख्या 232/1982 दिनांक 17–1–1994 को अदम पैरवी में खारिज हो जाने के पश्चात् यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त दावे में कोई प्रार्थना पत्र बाजदायर प्रस्तुत नहीं किया गया परन्तु मौजूदा दावे के जवाब में यह कथन किया गया है कि राजीनामे में उनका कब्जा बहाल रखा गया प्रतिवादीगण द्वारा किये गये इस कथन की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है । प्रतिवादीगण का यह कथन माने जाने योग्य नहीं है जब उनके द्वारा यह स्वीकार किया जा चुका था कि उन्हें वादीगण के पिता केसरलाल ने बेदखल कर दिया था तब उनका कब्जा बहाल कैसे हो सकता है जब तक कि वे या तो स्वयं जबरन कब्जा कर लें या केसारलाल उन्हें कब्जा ना सम्भला दें परन्तु ऐसा कोई भी तथ्य अंकित ही नहीं किया गया है। प्रतिवादी पक्ष के गवाह डी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

डब्ल्यू–1 अशोक जैन, ने इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और वास्तविक तथ्यों के विपरीत भूमि विवादग्रस्त पर अपना निरन्तर कब्जा होने का कथन किया है, जो किसी भी अवस्था में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वादीगण ने अपने कथन के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 1 पदम चन्द जैन, पी.डब्ल्यू. 2 नेमीचन्द जैन, पी. डब्ल्यू. 3 रमेश शर्मा, पी.डब्ल्यू. 4 रामलाल यादव, पी.डब्ल्यू. 5 नानग राम तथा पी. डब्ल्यू. 6 रामनारायण के बयान कराये जिन्होंने वादीगण के कब्जे की पुष्टि की है। उक्त साक्ष्य से भूमि विवादग्रस्त पर वास्तविक कब्जा वादी पक्ष का निरन्तर चला आना और वादीगण को भूमि विवादग्रस्त से वास्तविक रूप से बेदखल करने की कभी किसी प्रतिवादीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई इसलिये वादीगण उक्त भूमि पर अपना वास्तविक कब्जा संदेह से बाहर साबित करने में पूर्णतः सफल रहे हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (4) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि भूमि विवादग्रस्त पर किसी व्यक्ति का जो कि अपने–आपको भूमि विवादग्रस्त का खातेदार कृषक होना जाहिर करता हो, यदि उसका वास्तविक कब्जा नहीं हो और कब्जा प्राप्त करने की निर्धारित समयावधि, 12 वर्ष, समाप्त हो जाये तो उक्त भूमि से उसके अधिकार समाप्त हो जावेंगे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट के आईटम संख्या 23 में अतिक्रमी को बेदखल करने हेतु प्रस्तुत किये जा सकने वाले वाद की समयावधि 12 वर्ष निर्धारित है, इस प्रकार 12 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि चौगानमल व उनके कानूनी उत्तराधिकरियों प्रतिवादीगण के भूमि विवादग्रस्त में किसी प्रकार के कोई अधिकार यदि निहित भी थे तो भी वे अधिकार समाप्त हो गये। विधि की सुस्थापित व्यवस्था के अनुरूप में प्रतिवादीगण के यदि भूमि विवादग्रस्त में पूर्व राजस्व भू–अभिलेखों में हो रहे पूर्व के इन्द्राजात के अनुरूप खातेदारी अधिकार माने भी जावे तो उनके खातेदारी अधिकार भूमि विवादग्रस्त पर उनका वास्तविक कब्जा नहीं होने और मौजूदा वादीगण के हक पूर्वाधिकारी का स्वीकृत रूप से उक्त भूमि पर उनके अधिकारों के विपरीत वास्तविक कब्जा होने से प्रतिवादीगण के अधिकार हमेशा के लिये समाप्त हो गये। इसलिये तनकी संख्या 1 का प्रथम भाग वादीगण के पक्ष में सं[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 1 का द्वितीय भाग यह है कि क्या कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादीगण खातेदारी घोषित कराने के कानूनी अधिकारी है और तनकी संख्या 3 का भी द्वितीय भाग है भी यही है क्या वादीगण कब्जा मुखालफाना (Adverse possesion) के आधार पर खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है।

भूमि विवादग्रस्त पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषित करने के बिन्दू पर वादीगण का यह कथन रहा है कि वादीगण को कभी प्रतिवादीगण ने अथवा अन्य किसी ने भूमि विवादग्रस्त से बेदखल करने की कभी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। प्रतिवादी पक्ष ने तो भूमि विवादग्रस्त पर

सहायक कलेक्टर
नगर मोजमाबाद जयपुर

अपना ही कब्जा होने का कथन किया है जो मानने योग्य नहीं है। अब प्रश्न यह रह जाता है कि भूमि विवादग्रस्त से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(4) के प्रावधानों के आधार पर प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार तो हमेशा के लिये समाप्त हो गये परन्तु क्या मौजूदा वादीगण को भूमि विवादग्रस्त पर कब्जा मुखालफाना होने की वजह से खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं अथवा नहीं।

इस बिन्दु पर वादीगण के अधिवक्ता का कथन रहा है कि कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, उक्त बिन्दु पर वृहद रूप से विचार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान की वृहद पीठ 1991 आर.आर.डी. पेज 1 बग्गा बनाम सुरेन्द्र सिंह में किया गया और यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि कब्जा मुखालफाना (Adverse possesion) से खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त निर्णय 1991 आर.आर.डी. पेज 1 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने 2011 (2) आर.आर.टी. 721 जगदीश बनाम सीताराम में वृहद रूप से उक्त बिन्दु को पुनः परीक्षित किया गया और पांच सदस्यों की फुल बैंच ने 1991 आर.आर. डी. पेज 1 में प्रतिपादित उक्त रूलिंग को उचित निर्णय ना होना करार दिया। 2011 (2) आर.आर.टी. 721 के फुल बैंच के उक्त निर्णय के विरूद्ध रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9245 /2011 उनवानी सीताराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में स्थगन आदेश पारित कर रखा है, जो आज दिनांक तक यथावत कायम है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2002 (2) आर.आर.टी. 924 के अपने निर्णय में यह निर्णय पारित किया कि कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2001) 2 एस.सी.सी. 498, (2011) 10 एस.सी.सी. 404 तथा 2019 (2) आर.आर.टी. 1354 के अपने निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि घोषणा का दावा कब्जा मुखालफाना के आधार पर संधारण योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त निर्णयों के आधार पर इस तथ्य में कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान की फुल बैंच के निर्णय 2011 (2) आर.आर.टी. 721 के विरूद्ध जब रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिस एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9245/2011 उनवानी सीताराम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु व अन्य में स्थगन आदेश पारित किया हुआ है, उक्त स्थगन आदेश की वजह से यह निर्णीत करने में कोई विधिक बाधा नहीं है कि कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी घोषणा का दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में जब ये तथ्य संदेह से बाहर साबित है कि श्री गणेशलाल जी के जमाने से भूमि विवादग्रस्त पर निरन्तर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

मौजूदा वादीगण के हक पूर्वाधिकारी काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। दिनांक 10–1–1974 से स्वीकृत रूप से निरन्तर मौजूदा वादीगण भूमि विवादग्रस्त पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादीगण को भूमि विवादग्रस्त में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। प्रतिवादीगण ने अपनी लिखित बहस में 2024 (2) आर.आर.टी. 939 प्रस्तुत की है जबकि वादीगण द्वारा जो नजीरें प्रस्तुत की गई हैं वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की है जिनपर निग्रय आधारित करने में कोई बाधा नहीं है । अतः तनकी संख्या 1 पूर्ण रूप से वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 "आया विवादित आराजियात को खातेदारी अधिकार घोषित करवाने के पश्चात् वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के कानूनी अधिकारी है।" इस तनकी संख्या 2 का एक भाग तनकी संख्या 3 का अंतिम भाग है, जिसमें न्यायालय को यह निर्णीत करना है कि आया वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है।

—— जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या 1 के निर्णय में यह निर्णित किया जा चुका है कि वादीगण ही भूमि विवादग्रस्त के वास्तविक खातेदार काबिज काश्तकार है। वादीगण ने दावे में भूमि विवादग्रस्त पर अपना कब्जा प्रतिवादीगण के हक पूर्वाधिकारी स्व. श्री गणेशलाल पुत्र सुवालाल के जमाने से ही निरन्तर होना क्लेम किया है श्री केसरलाल का देहान्त हो जाने के पश्चात् उनके पुत्र वादीगण छीतरमल, पदमचन्द व नेमीचन्द भूमि विवादग्रस्त पर निरन्तर काबिज रहकरा काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण ने अपने वादौत्तर में भूमि विवादग्रस्त पर अपना कब्जा होने का कथन किया है, प्रतिवादीगण जिनके भूमि विवादग्रस्त में कोई अधिकार शेष नहीं है, वादीगण को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल करने अथवा भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण के कब्जे काश्त में अनुचित हस्तक्षेप करने के अधिकारी नहीं है और ऐसी स्थिति में वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ऐसी [illegible] द्वारा भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण का ही वास्तविक कब्जा होना निर्णीत किया [illegible] चुका है तब प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो [illegible] है अतः तनकी संख्या 2 का निर्णत भी वादीगण के पक्ष में और [illegible] के विरूद्ध किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 3 "आया विवादित आराजियात पर वादीगण एवं उनके पिता स्व. केसरलाल का कब्जा काश्त नहीं है प्रतिवादीगण विवादित आराजियात के रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः वादीगण कब्जा मुखालफाना के (Adverse possesion) के आधार पर खातेदारी घोषित करवाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है।"

सहायक कलक्टर
जयपुर

–– जिम्मे प्रतिवादीगण

इस न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 के निर्णय में इस तनकी संख्या 3 में निहित बिन्दूओं पर भी निर्णय पारित किया जा चुका है और तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णत वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जा चुका है तब तनकी संख्या 3 में अब पृथक से पुनः निर्णय अंकित किये जाने की आवश्यकता नहीं है और तनकी संख्या 3 का निर्णत भी वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है ।

अतः तनकी संख्या 1, 2 व 3 का निर्णय वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाकर वादीगण को वाके ग्राम खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर के खसरा नम्बर 76/1023, 77/1024, 80/748, 82, 84/799, 92/803, 81 कुल किता 7 कुल रकबा 2.05 हैक्टे0 है, जिसके साबिका खसरा नम्बर 54 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा थे वादीगण का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, प्रतिवादीगण ने राजस्व भू–अभिलेखों में जो अपना खातेदार कृषक के रूप में अंकित करा लिया है, उसे निरस्त कर, वादीगण का नाम राजस्व भू–अभिलेखों में खातेदार कृषक के रूप में दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया जाता है और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण के कब्जे काश्त तथा उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार का कोई अनुचित हस्तक्षेप ना स्वयं करे, ना किसी अन्य से करावे तथा वादीगण को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल करने की कोई कार्यवाही ना स्वयं करे, ना किसी अन्य से करावें।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 1033/2008
बउनवानी – छीतर बनाम अमरचन्द वगै0
निर्णय दिनांक – 28.04.2025

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 1033/2008 वाद प्रस्तुति दिनांक – 06.10.2006

1. **छीतरमल पुत्र स्व. श्री केसरलाल, (मृतक दौराने वाद)**

1/1. मुकेश पुत्रान स्व. श्री छीतरमल, जाति जैन, निवासी निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
1/2. राकेश खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
1/3. संजय निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
1/4. मु0 संतरा देवी बेवा स्व. श्री छीतरमल, जाति जैन, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
1/5. श्रीमती कुसुम शाह पुत्री स्व. श्री छीतरमल धर्मपत्नी श्री दीपक शाह, जाति जैन, निवासी त्रिवेणी चौराहा, गंगा विहार कॉलोनी, गोपालपुरा, जयपुर।

2. पदमचन्द पुत्र स्व. श्री केसरलाल, आयु 58 वर्ष जाति जैन, निवासी ग्राम
3. नेमीचन्द पुत्र स्व. श्री केसरलाल, आयु 48 वर्ष खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

— वादीगण

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र स्व. श्री चौगानमल, जाति जैन, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. **श्रीमती मिश्रीदेवी धर्मपत्नी स्व. श्री चौगानमल (मृतक दौराने वाद)**
3. **श्रीमती चन्द्रकान्ता धर्मपत्नी श्री मोहनलाल जैन (मृतक दौराने वाद)**
   3/1. पिन्टू पुत्र स्व. श्री मोहनलाल जाति जैन, निवासी मु0 पोस्ट,
   3/2. दीपू पुत्र स्व. श्री मोहनलाल सवाई माधोपुर, तहसील व जिला
   3/3. गुटन पुत्री स्व. श्री मोहनलाल सवाई माधोपुर।
4. श्रीमती बीना देवी पुत्री स्व. श्री चौगानमल धर्मपत्नी श्री राजेश कुमार, जाति जैन, निवासी मकान नम्बर 660, मनिहारों का रास्ता, जयपुर।
5. श्रीमती कुसुम देवी पुत्री स्व. श्री चौगानमल धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार , जाति जैन, मु. पो. खोवारावजी, तहसील व जिला दौसा।
6. श्रीमती अंतिम देवी पुत्री स्व. श्री चौगानमल धर्मपत्नी श्री पारस जैन, निवासी जैन कॉलोनी, मु. पो. मदनगंज–किशनगढ़, अजमेर।
7. श्रीमती सन्तोष देवी पुत्री स्व. श्री चौगानमल धर्मपत्नी श्री त्रिलोकचन्द, जाति जैन, निवासी बड़ा जैन मन्दिर के पास, मुकाम पोस्ट
8. **सुरेश कुमार पुत्र स्व. श्री रतनलाल जैन (मृतक दौराने वाद)**
   8/1. अक्षय कुमार पुत्र स्व. श्री सुरेश कुमार जैन, निवासी ग्राम खोराबीसल,
   8/2. मु0 विमला देवी बेवा स्व. श्री सुरेश कुमार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री रतनलाल, जाति जैन, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. श्रीमती ललिता पुत्री स्व. श्री रतनलाल जैन धर्मपत्नी श्री राजेन्द्र कुमार लुहाड़िया, जाति जैन, निवासी चन्द्रप्रभ जैन मन्दिर के सामने, झोटवाड़ा, जयपुर।
11. श्रीमती मंजू पुत्री स्व. श्री रतनलाल जैन धर्मपत्नी श्री महेश कुमार जैन, जाति जैन, निवासी दादी के फाटक के पास, बैनाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।

सहायक कलक्टर आमेर, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 1033/2008
बउनवानी – ... अमरचन्द वगै0
निर्णय दिनांक 29.04.2025

12. राजमल पुत्र स्व. श्री छिगनलाल, जाति जैन (मृतक दौराने वाद)
12/1. नवीन कुमार
12/2. राकेश कुमार
पुत्रान स्व. श्री राजमल, जाति जैन, निवासी मकान नम्बर–747, मिश्राराजाजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।
12/3. श्रीमती अनिता पुत्री स्व. श्री राजमल धर्मपत्नी श्री राकेश ठोलिया, जाति जैन, निवासी प्लॉट नम्बर 68, जनकपुरी I[st], ईमलीवाला फाटक, ज्योति नगर, जयपुर।
12/4. श्रीमती रेखा पुत्री स्व. श्री राजमल धर्मपत्नी श्री पदम छाबड़ा, जाति जैन, निवासी जैन मन्दिर मार्ग, मानसरोवर कॉलोनी, झोटवाड़ा, जयपुर।
13. महावीर प्रसाद पुत्रा स्व. श्री छिगन, जाति जैन, निवासी ग्राम खोरा बीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर , तहसील आमेर, जिला जयपुर।
15. सरदार पुत्र हनुमानराम, जाति यादव, निवासी ग्राम उदयपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
16. नेकीराम पुत्र स्व. श्री छोटूदास, जाति स्वामी, निवासी–72, जमनापुरी, मुरलीपुरा, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।
17. हजारीलाल पुत्र श्री रामनिवास, जाति स्वामी, निवासी ग्राम मण्डावरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
18. रामस्वरूप पुत्र श्री नारायणराम, जाति जाट, निवासी प्लॉट नम्बर 14, पवनपुरी, मुरलीपुरा, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।

— प्रतिवादीगण

वाद बाबत इस्तकरार हक, एवं स्थाई निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

तनकी संख्या 1, 2 व 3 का निर्णय वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया जाकर वादीगण को वाके ग्राम खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर के खसरा नम्बर 76/1023, 77/1024, 80/748, 82, 84/799, 92/803, 81 कुल किता 7 कुल रकबा 2.05 हैक्टे0 है, जिसके साबिका खसरा नम्बर 54 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा थे वादीगण का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, प्रतिवादीगण ने राजस्व भू–अभिलेखों में जो अपना खातेदार कृषक के रूप में अंकित करा लिया है, उसे निरस्त कर, वादीगण का नाम राजस्व भू–अभिलेखों में खातेदार कृषक के रूप में दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया जाता है और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण के कब्जे काश्त तथा उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार का कोई अनुचित हस्तक्षेप ना स्वयं करे, ना किसी अन्य से करावें तथा वादीगण को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल करने की कोई कार्यवाही ना स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें।

बसखत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 29.04.2025 को जारी किया ।

दस्तखत——
ओहदा——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally Signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested